



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 816 राँची, मंगलवार, 17 कार्तिक, 1938 (श०)
8 नवम्बर, 2016 (ई०)

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

4 नवम्बर, 2016

संख्या-एल०जी०-26/2016-164/लेज०-- झारखंड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर राज्यपाल दिनांक 28 अक्टूबर, 2016 को अनुमति दे चुकी है, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2016
(झारखण्ड अध्यादेश संख्या-06, 2016)

झारखण्ड मूल्यवर्द्धित-कर अधिनियम, 2005 (झारखण्ड अधिनियम, 05, 2006) में संशोधन हेतु अध्यादेश ।

प्रस्तावना -

चूंकि, झारखण्ड राज्य विधान सभा सत्र में नहीं है, और चूंकि झारखण्ड राज्य के राज्यपाल संतुष्ट हैं कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिसके कारण झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (झारखण्ड अधिनियम, 2005, 2006) के वर्तमान प्रावधानों में संशोधन करने तथा नये प्रावधानों को जोड़ना उनके लिए आवश्यक हो गया है ।

इसलिए, अब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत झारखण्ड राज्यपाल निम्नवत् अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:-

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ-

- (i) यह अध्यादेश, झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2016 कहा जायेगा।
- (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।
- (iii) संबंधित धाराओं में उल्लिखित तिथियों को छोड़कर, यह सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. धारा 2 में संशोधन -

- (i) धारा- 2 (viii) में 'व्यवसाय' की परिभाषा में उपधारा (ख) एवं (ग) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाएगा -

(ख) कोई भी व्यापार, वाणिज्य या विनिर्माण अथवा व्यापार, ई-कामर्स, ई-कामर्स पोर्टल वाणिज्य या विनिर्माण की प्रकृति/ स्वरूप का कोई व्यापारिक संस्थान (ऐडवेंचर) या कारखाना (कन्सर्न) भले ही ऐसा व्यापार, वाणिज्य या विनिर्माण, व्यापारिक संस्थान (ऐडवेंचर) या कारखाना (कन्सर्न) लाभ के लिए किया जाए या नहीं और भले ही ऐसे व्यापार, वाणिज्य, विनिर्माण, व्यापारिक संस्थान (ऐडवेंचर) या कारखाना (कन्सर्न) से कोई लाभ प्राप्त होता हो या नहीं; और

(ग) ऐसे व्यापार, वाणिज्य या सेवा, ई-कामर्स, ई-कामर्स पोर्टल, विनिर्माण, व्यापारिक संस्थान (ऐडवेंचर) या कारखाना (कन्सर्न) के संबंध में या उसके आनुषंगिक या अनुगत उपबंध (क) में विहित कोई संव्यवहार शामिल होगा जिसमें कोई अन्य संव्यवहार, जो वस्तु के मूल स्वरूप सेकेन्ड हैंड वस्तु, अनसर्विसेबुल वस्तु, बेकार और अनुपयुक्त वस्तु, स्क्रेप या रद्दी वस्तु के रूप में एवं वे वस्तुएँ जो बाय प्रोडक्ट या रद्दी, जो दूसरी वस्तुओं की निर्माण या प्रोसेसिंग अथवा खनन या विद्युत के उत्पादन एवं वितरण की प्रक्रिया में प्राप्त की जाती हैं, से संबंधित हो।

- (ii) धारा- 2 की उपधारा (xiii) के अन्तर्गत 'व्यवसायी' की परिभाषा में शब्द समूह 'किसी माल की प्रत्यक्ष' के पश्चात् निम्न शब्द समूह जोड़ा जाएगा -

'या किसी भी तरीके के ई-कामर्स या अन्यथा'

- (iii) धारा- 2 की उपधारा (xvii) के पश्चात् एक नयी उपधारा (xvii)क को निम्नवत् जोड़ा जाएगा -

(xvii)क 'ई-कामर्स या इलेक्ट्रॉनिक कामर्स सहित कामर्स, ई-बिजनेस, आनलाईन खरीदारी या उसी प्रकार के अन्य भिन्न रूप या परिभाषित शब्दावली' से अभिप्रेत है 'वस्तु एवं सेवा की खरीद, बिक्री, आपूर्ति, वितरण या पहुँचाना या उससे खरीद, बिक्री, आपूर्ति, वितरण या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पहुँचाना'

(iv) कार्य संविदा से अभिप्रेत है नकद अथवा आस्थगित भुगतान अथवा अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए जोड़ने का कार्य, निर्माण कार्य, भवन निर्माण, फेरबदल, उत्पादन, प्रसंस्करण, रचना, प्रतिस्थापन, सुधार, फिटिंग, सुधार, मरम्मत, या सड़क, पुल अथवा अन्य अचल अथवा चल संपत्ति का निर्माण कार्य करने के लिए कोई करार या अनुबंध ।

3. धारा 19 में संशोधन -

व्याख्या 1 में शब्द 'लगातार' एवं 'महीनों' के बीच विद्यमान शब्द 'तीन' को शब्द 'बारह' से प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

यह दिनांक 7 मई, 2011 से प्रभावी होगा ।

4. धारा 25 में संशोधन -

विद्यमान उपधारा (10) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

एक वर्ष में पचास हजार से अधिक मूल्य के करयोग्य वस्तुओं के निर्माण के लिए राज्य में औद्योगिक इकाई को स्थापित करने वाला व्यक्ति बावजूद इसके कि वह इस अधिनियम की धारा 8 के अधीन कर भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है, इस अधिनियम के अधीन निबंधित हो सकता है ।

(ii) उक्त धारा 11 में शब्द 'उत्पादन' एवं 'या वितरण' के बीच विराम चिन्ह ',' एवं शब्द 'प्रसार' को जोड़ा जाएगा ।

5. धारा 26 में संशोधन - उपधारा (2) के अन्तर्गत परन्तुक विलोपित किया जाएगा।

6. धारा 30 में संशोधन -

(i) धारा -30 के शीर्षक को 'विवरणी एवं भुगतान चूक' से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ii) विद्यमान धारा -30 को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाएगा-

(1) यदि एक व्यवसायी को धारा 29 की उपधारा (1) या (2) के अन्तर्गत विवरणी दाखिल करने की माँग पर बिना किसी पर्याप्त कारण के

(क) धारा 29 की उपधारा (1) या (2) के अन्तर्गत निर्धारित तिथि के अन्तर्गत विवरणी दाखिल करने में असफल होता है; या

(ख) धारा 29 की उपधारा (3) के अन्तर्गत, संशोधित विवरणी दाखिल करने की माँग पर, निर्धारित तिथि के अन्तर्गत संशोधित विवरणी दाखिल करने में असफल होता है;

सक्षम पदाधिकारी द्वारा, उक्त व्यवसायी को निर्धारित प्रक्रिया के अधीन सुनवाई का पर्याप्त अवसर देते हुए, उक्त चूक हेतु किसी भी माह या किसी भी कर अवधि के लिए शास्ति अधिरोपित कर सकते हैं जिसका दर 50/- रूपया प्रतिदिन से अधिक नहीं हो, तथा अधिकतम 25,000/- रूपया वार्षिक हो।

व्याख्या- उपधारा (1) के लिए 'विवरणी' से अभिप्रेत तथा सम्मिलित है, मासिक विवरणी, किसी भी कर अवधि हेतु विवरणी, संशोधित विवरणी तथा वार्षिक विवरणी।

(2) यदि एक व्यवसायी, बिना किसी पर्याप्त कारण के निर्धारित बकाये कर की राशि के भुगतान में असफल होता है, उक्त व्यवसायी, जिस तिथि से व्यवसायी द्वारा वास्तविक भुगतेय कर बकाया हो गया है से, 2 प्रतिशत प्रत्येक माह की दर से ब्याज देने के लिए उत्तरदायी होगा।

व्याख्या I - उपधारा (2) के लिए 'बकाया कर' में सम्मिलित है इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए दावा किया गया राशि जिसे साक्ष्यों के द्वारा स्थापित नहीं किया गया है।

व्याख्या II- उपधारा (2) के लिए 'माह' से अभिप्रेत है 30 दिन और ब्याज और शास्ति कम से कम एक माह की अवधि के लिए देय अनुपात में गणना की जाएगी।

7. धारा 33 में संशोधन - विद्यमान धारा 33 को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

(1) सक्षम प्राधिकारी द्वारा कर अवधि की समाप्ति के पाँच वर्ष की अवधि में तथा निर्धारित प्रक्रिया के अधीन धारा 29 के अन्तर्गत दाखिल सभी विवरणी की जाँच कर सुनिश्चित कर सकता है-

(क) उसमें निहित सभी गणना का सही हिसाब किया गया है।

(ख) आउटपुट टैक्स, इनपुट टैक्स, देय टैक्स और देय ब्याज, यदि कोई है, सही ढंग से और ठीक से गणना की गयी है।

(ग) कर-दर को सही ढंग से लागू किया गया है,

(घ) भुगतय कर एवं ब्याज का भुगतान से संबंधित साक्ष्य, यदि कोई हो, को दाखिल किया गया है, एवं

(इ) जो कटौती का दावा किया गया है, वह अधिनियम के अन्तर्गत विहित प्रक्रिया एवं प्रपत्र या उस समय लागू किसी अन्य कानून के अन्तर्गत पुष्टि की गयी है,

(2) यदि, उपधारा (1) के अधीन जांच के पश्चात, सक्षम प्राधिकारी को किसी प्रकार की त्रुटि का पता चलता है, वह संबंधित व्यवसायी को विहित प्रपत्र में सूचना देगा जिसमें उसे निदेशित करेगा कि-

(क) उपधारा (1) के कंडिका (क) से (इ) में दिए गए निदेशों का पालन नहीं करने के संबंध में तीस दिनों के भीतर व्याख्या दें ।

(ख) तीस दिनों के भीतर देय ब्याज, यदि कोई हो, के साथ कर की अतिरिक्त राशि का भुगतान तथा उक्त भुगतान से संबंधित चालान का दाखिला ।

(3)(क) सक्षम पदाधिकारी, उप धारा (2) की कंडिका (क) के अन्तर्गत आने वाले मामले एवं व्यवसायी को आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर देते हुए, उक्त मामले में इस प्रकार का आदेश पारित कर सकते हैं जैसा वे उचित समझें ।

(ख) यदि, उप धारा (2) की कंडिका (ख) के अन्तर्गत आदेश के आधार पर, यह पाया जाता है कि व्यवसायी द्वारा कोई भी कर या ब्याज भुगतेय है तो निर्धारित प्रक्रिया या प्रपत्र में एक सूचना उक्त व्यवसायी को दी जाएगी जिसमें उसे उक्त कर एवं ब्याज को निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत भुगतान करने की माँग की जाएगी ।

(ग) यदि सक्षम पदाधिकारी संतुष्ट होते हैं कि व्यवसायी द्वारा इस अधिनियम के अन्तर्गत भुगतान किये जाने वाले कर की राशि को कम करने के उद्देश्य से कोई भी खरीद या बिक्री या कोई अन्य ब्यौरा को छिपाया गया है या अपने सकल आवर्त का गलत ब्यौरा दाखिल किया गया है या धारा 29 के अन्तर्गत दाखिल विवरणी में खरीद एवं बिक्री से संबंधित गलत ब्यौरा दाखिल किया गया है ।

सक्षम पदाधिकारी, उक्त व्यवसायी को सुनवाई का अवसर देते हुए, लिखित रूप में आदेश देंगे कि वह, शास्ति के रूप में, धारा 35 या 36 या 38 के अन्तर्गत निर्धारित कोई भी भुगतेय कर के साथ-साथ छुपाये गये सकल आवर्त पर कर राशि की दुगुनी के बराबर की राशि भुगतान करेंगे ।

(घ) कंडिका (ख) एवं (ग) के अन्तर्गत कोई भी भुगतेय कर या शास्ति, धारा 43 के अन्तर्गत कर का बकाया समझा जाएगा।

8. धारा 35 में संशोधन -

विद्यमान उपधारा (3) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

धारा 33 के प्रावधानों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, लेकिन धारा 40 के प्रावधानों के अधीन, प्रत्येक निबंधित व्यवसायी जिनका वार्षिक सकल आवर्त 2 करोड़ रुपये तक है तथा धारा 29 की उपधारा (1) के अनुसार वार्षिक विवरणी दाखिल करने की अंतिम तिथि के पूर्व विवरणी दाखिल कर चुके हैं, उन्हें या संशोधित विवरणी के साथ-साथ ब्याज सहित बकाये कर का भुगतान संबंधित साक्ष्य, दाखिल कर चुके हैं, उन्हें, इस अधिनियम की धारा 19 के अन्तर्गत व्यवसायियों को छोड़ कर, कर निर्धारण सम्पन्न समझा जाएगा,

बशर्ते कि व्यवसायी को इस अधिनियम के लागू होने के चार माह के भीतर या विवरण दाखिल करने की अंतिम तिथि, जो भी पहले हो, तक विवरणी में किए गए दावों के संबंध में साक्ष्य समर्पित करना होगा।

9. धारा 40 में संशोधन -

(i) उपधारा (1) की कंडिका (इ) के पश्चात एक नयी कंडिका (च) निम्नवत् जोड़ा जाएगा -

(च) दाखिल विवरणी या संधारित लेखा में छुपाया गया या व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत किया गया साक्ष्य गलत, अधूरा या अविश्वसनीय।

(ii) उपधारा (1) के प्रथम परन्तुक के पश्चात एक नया परन्तुक निम्नवत् जोड़ा जाएगा:-

परन्तु यह कि कंडिका (च) के लिए यदि कर निर्धारण के समय छुपाये गये सकल आवर्त पर कर निर्धारित एवं उद्ग्रहित किया जा चुका है, सक्षम पदाधिकारी, व्यवसायी पर, केवल निर्धारित एवं उद्ग्रहित अतिरिक्त कर के तीन गुणा राशि के बराबर की शास्ति अधिरोपित करेंगे।

उपधारा (2) की कंडिका-ख के द्वितीय खण्ड को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

शास्ति, कर निर्धारण की समाप्ति के पूर्व अधिरोपित किया जाएगा तथा भुगतेय शास्ति की राशि को निर्धारित करने के लिए सक्षम पदाधिकारी इस अधिनियम के अन्तर्गत अस्थायी रूप से भुगतेय कर को परिमाणित करेंगे।

10. धारा 73 में संशोधन -

उपधारा (5) की व्याख्या (ii) में शब्द समूह 'ऐसा व्यक्ति' के पश्चात शब्द समूह 'या एक कूरियर कम्पनी जो कि ई-कामर्स के व्यवसाय में हैं या आन-लाईन क्रय' को जोड़ा जाएगा।

11. नयी धारा 73A को जोड़ना -

धारा 73 के पश्चात धारा 73A के रूप में एक नयी धारा निम्नवत् अन्तःस्थापित की जाएगी:-

73 A परिवहनकर्ता, वाहक या परिवहन अभिकर्ता या कूरियर कम्पनी का नामांकन

(1) कोई भी परिवहनकर्ता, वाहक या परिवहन अभिकर्ता या कूरियर कम्पनी जो इस अधिनियम के अन्तर्गत करयोग्य मालों का परिवहन कर रहे हैं, इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत नामांकित हुए बिना व्यवसाय नहीं करेंगे।

(2) प्रत्येक परिवहनकर्ता, वाहक या परिवहन अभिकर्ता या कूरियर कम्पनी झारखण्ड के भीतर या बाहर मालों का परिवहन करेंगे, जो झारखण्ड में परिवहन व्यवसाय या ई-कामर्स कर रहे हों, वे विहित प्राधिकारी के समक्ष आवेदन कर विहित तरीके एवं समय के भीतर, जो विहित किया गया हो, नामांकन प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे तथा परिवहनकर्ता, वाहक या परिवहन अभिकर्ता या कूरियर कम्पनी जिन्हें नामांकन प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है वे-

(i) अपने मुख्य कार्यालय और शाखा कार्यालय तथा वेयर हाउस में नामांकन प्रमाण पत्र या प्रतियां प्रदर्शित करेंगे।

(ii) प्रत्येक कन्साइन्मेंट नोट तथा माल प्राप्ति रसीद पर नामांकन प्रमाण पत्र में अंकित नामांकन संख्या जो उन्हें निर्गत किया गया हो तथा प्रत्येक अन्य कागजात जो विहित किया गया हो, का उल्लेख करेंगे।

(3) यदि प्रत्येक परिवहनकर्ता, वाहक या परिवहन अभिकर्ता या कूरियर कम्पनी जो धारा 73A की उपधारा (1) के अन्तर्गत बिना किसी युक्तिसंगत कारण के नामांकित नहीं होते हैं, वे विहित समय के भीतर विहित नामांकन प्रमाण पत्र के संशोधन हेतु आवेदन पत्र जमा करेंगे तथा विहित प्राधिकारी प्रत्येक परिवहनकर्ता, वाहक या परिवहन अभिकर्ता या कूरियर कम्पनी को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए प्रथम तीन माहों के लिए प्रत्येक माह भूल हेतु 10 हजार रुपये एवं अनुवर्ती माहों के लिए 50 हजार प्रति माह की विहित तरीके से शास्ति अधिरोपित करेंगे तथा वे परिवहन व्यवसाय हेतु पात्र नहीं होंगे।

(4) उपधारा (1) के अन्तर्गत निर्गत नामांकन प्रमाण पत्र विहित प्राधिकारी प्रत्येक परिवहनकर्ता, वाहक या परिवहन अभिकर्ता या कूरियर कम्पनी द्वारा समर्पित सूचनाओं के आलोक में जैसा मामला हो, प्रत्येक परिवहनकर्ता, वाहक या परिवहन अभिकर्ता या कूरियर कम्पनी को नोटिस निर्गत करते हुए संशोधित कर सकेंगे तथा ऐसी परिस्थितियों में भूलक्षी प्रभाव से एवं विहित तरीके से शर्तों एवं बंधज के साथ जो विहित किया गया हो, ऐसे संशोधन किए जाएंगे।

(4) i) उपधारा (1) के अन्तर्गत परिवहनकर्ता, वाहक या परिवहन अभिकर्ता या कूरियर कम्पनी को निर्गत नामांकन प्रमाण पत्र को विहित प्राधिकारी द्वारा निरस्त/रद्द किया जा सकेगा जहां वे सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने के पश्चात संतुष्ट हैं कि ऐसे प्रत्येक परिवहनकर्ता, वाहक या परिवहन अभिकर्ता या कूरियर कम्पनी का मालों के परिवहन का व्यवसाय जैसा मामला हो, रोक दिया गया हो या बन्द हो गया हो या कागजात या ज्ञापन के आधार पर ऐसा पाया गया हो कि यह गलत है या धारा के अन्तर्गत किसी प्रावधान की आवश्यकता को पूरा नहीं करता हो तथा ऐसा रद्दीकरण उक्त आदेश की तिथि से प्रभावी होगा।

ii) नामांकन प्रमाण पत्र का रद्दीकरण प्रत्येक परिवहनकर्ता, वाहक या परिवहन अभिकर्ता या कूरियर कम्पनी से प्राप्त आवेदन या उपयुक्त प्राधिकारी के संतुष्टि के आधार पर स्वप्रेरणा से भी किया जा सकेगा।

12. धारा 79 में संशोधन -

(i) धारा 79 की उपधारा (3) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

‘धारा 79 की उपधारा (1) और (2) के अन्तर्गत किसी भी अपील को स्वीकृत नहीं किया जाएगा यदि कर-निर्धारण या पुनर्कर निर्धारण के आदेश पर आपत्ति व्यक्त करने वाले अपीलकर्ता, अपने द्वारा मान्य किए गए कर एवं ब्याज की राशि तथा जिस आदेश के संबंध में अपील दायर किया गया है, से संबंधित शेष विवादित कर एवं ब्याज की राशि का दस प्रतिशत के बराबर की राशि का पूर्ण भुगतान कर चुके हैं।

बशर्ते कि यदि अपीलीय पदाधिकारी संतुष्ट हैं कि पर्याप्त आधार है, तो वे आवेदन आने पर अपीलार्थी को विवादित कर एवं ब्याज की राशि का दस प्रतिशत के बराबर की राशि जमा करने से विमुक्त कर सकते हैं या अपील दायर करने की स्वीकृति के लिए उक्त राशि के दस प्रतिशत को कम कर सकते हैं तथा ऐसा करने के कारण को आदेश में दर्ज किया जाएगा।’

(ii) धारा 79 की उपधारा (4) में शब्द ‘तीस’ को शब्द ‘साठ’ से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

13. धारा 80 में संशोधन -

(i) उपधारा (3) में शब्द समूह ‘90 दिन के भीतर’ के पश्चात अंकित शब्द समूह ‘आयुक्त के समक्ष’ को विलोपित किया जाता है।

(ii) धारा 80 के उपधारा (4) के परन्तुक को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाएगा -

‘धारा 80 की उपधारा (4) के अन्तर्गत कोई पुनरीक्षणवाद को तबतक स्वीकृत नहीं किया जाएगा जबतक कर निर्धारण आदेश या पुनर्कर निर्धारण आदेश या अपीलीय आदेश के विरोध करने वाला अपीलकर्ता, अपने द्वारा मान्य किए गए कर एवं ब्याज की पूर्ण राशि को जमा करता है तथा जिस आदेश के संबंध में अपील दायर किया गया है, से संबंधित शेष विवादित कर एवं ब्याज की राशि का बीस प्रतिशत के बराबर की राशि का पूर्ण भुगतान करता है।

बशर्ते कि आयुक्त, अपीलार्थी को विवादित कर एवं ब्याज की राशि का बीस प्रतिशत के बराबर की राशि जमा करने से विमुक्त कर सकते हैं या पुनर्रीक्षणवाद आवेदन दायर करने की स्वीकृति के लिए उक्त राशि के बीस प्रतिशत को कम कर सकेंगे।

(iii) उपधारा (6) दिनांक 7 मई, 2011 के प्रभाव से विलोपित माना जाएगा।

14. अनुसूची II पार्ट B में संशोधन -

विद्यमान कर दर 5 प्रतिशत को 5.5 प्रतिशत से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

15. अनुसूची II पार्ट D में संशोधन -

विद्यमान कर दर 14 प्रतिशत को 14.5 प्रतिशत से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

दिनेश कुमार सिंह,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी,
विधि विभाग, झारखंड, राँची।

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

4 नवम्बर, 2016

संख्या-एल०जी०-26/2016-165/लेज०-- झारखंड विधान मंडल द्वारा यथा पारित और राज्यपाल द्वारा दिनांक 28 अक्टूबर, 2016 को अनुमत झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2016 का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखंड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

Jharkhand Value Added Tax (Amendment) Ordinance, 2016
(Jharkhand Ordinance No. 06, 2016)

An Ordinance to amend Jharkhand Value Added Tax Act, 2005 (Jharkhand Act 05, 2006)

Preamble:

Whereas the Legislative Assembly of the State of Jharkhand is not in session and, whereas the Governor of Jharkhand is satisfied that circumstances exist, which render it necessary to take immediate action to amend certain existing provisions and also to bring certain new provisions into the Jharkhand Value added Tax Act, 2005 (Jharkhand Act 05,2006).

Now, therefore, in exercise of power conferred by Clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor of Jharkhand is pleased to promulgate the following Ordinance:-

1. Short title, extent and commencement :

- (i) This Ordinance may be called the Jharkhand Value Added Tax (Amendment) Ordinance, 2016.
- (ii) It shall extend to the whole of the State of Jharkhand.
- (iii) It shall come into force with effect from the date of its publication in the Official Gazette except the date mentioned in the concerned Sections.

2. Amendment in Section2

- (i) In the definition of "Business" in section 2(viii) sub-sections (b) and (c) shall be substituted in the following manner:-

(b) Any trade, commerce, e-commerce, e-commerce portal, manufacture or any adventure or concern in the nature of trade, commerce, e-commerce, e-commerce portal, manufacture, whether or not such trade, commerce, e-commerce, e-commerce portal, manufacture, adventure, concern is carried on with a motive to make gain or profit and whether or not any gain or profit accrues from such trade, commerce, e-commerce, e-commerce portal, manufacture, adventure, concern; and

(c) Any transaction in connection with, or incidental or ancillary to such trade or services, commerce, e-commerce, e-commerce portal, manufacture, adventure or concern; referred to in clause (a) and includes any transaction involving goods whether or not in their original form or in the form of second hand goods, unserviceable goods, obsolete or discarded goods, scrap or waste material goods, which are obtained as waste-product, by-product in course of manufacture or processing of other goods or mining or generation and distribution of electricity.

- (ii) In sub-section(xiii)of section 2, in the definition of "Dealer" the following words shall be inserted after the words "any goods directly" in the following manner:-

“or through any system of Electronic commerce or otherwise”

(iii) After sub-section (xvii) of section 2, a new sub-section- (xvii) A shall be added in the following manner -

(xvii)A "E-commerce or Electronic commerce including-commerce, e-Business, on-line shopping or similar other variants or nomenclature" means buying, selling, supplying, distributing or delivering of goods and services or anything incidental to such buying, selling, supplying, distributing or delivering directly or indirectly and transmitting valuable consideration or making payment incidental thereto over an electronic Network or Website or by any other means.

(iv) The definition of “works contract” in sub-clause (ixiii) of section 2 shall be substituted in the following manner-

“Works contract” means a contract for carrying out any work and includes any contract or agreement for carrying out for cash or deferred payment or other valuable consideration for assembling, construction, building, altering, manufacturing, processing, fabrication, erection, installation, modification, fitting out, improvement, repair or commissioning of any building, road, bridge or any other immovable or movable property.

3. Amendment in Section 19 -

In Explanation 1 The word “three” appearing in between the words “consecutive” and “months” shall be substituted by the word “twelve”. This shall be effective from 7 May, 2011.

4. Amendment in Section 25 -

The existing sub-section (10) shall be substituted in the following manner - Any person intending to establish an industrial unit in the state for manufacture of taxable goods for sale of value exceeding rupees fifty thousand in a year notwithstanding that he is not liable to pay tax under section 8 of this Act, may get himself registered under this Act.

(ii) In sub-section (11), after the word '**generation**', the punctuation mark, ',' and word, '**transmission**' shall be inserted.

5. Amendment in Section 26 - Proviso under sub-section (2) shall be deleted.

6. Amendment in Section 30

(i) The title of Section 30 shall be substituted as '**Return and Payment Defaults**'.

(ii) The existing Section 30 shall be substituted in the following manner-

- (1) If a dealer required to furnish return under sub-section (1) or sub-section (2) of Section 29; without any sufficient cause;
- (a) fails to furnish any return by the prescribed date as required under sub-section (1) or sub-section (2) of Section 29; or
- (b) being required to furnish revised return, fails to furnish the revised return by the date prescribed under sub-section (3) of Section 29;

The prescribed authority shall, after giving such a dealer an opportunity of being heard in the manner prescribed, impose a penalty at the rate not exceeding rupees fifty for every day of such default for any month or any tax period, subject to a maximum of rupees twenty-five thousand in a year.

Explanation-‘Return’ for the purpose of sub-section (1) shall mean and include the Monthly Abstract, Return for any tax period, Revised Return(s) as well as the Annual Return.

- (2) If a dealer fails without sufficient cause to pay the amount of tax due, as prescribed, such dealer shall be liable to pay interest in respect of the tax payable by him for the period at the rate of 2% per month from the date the tax payable has become due to the date of its actual payment.

Explanation I – ‘Tax due’ for the purpose of sub section(2) of this section shall include the amount claimed as adjustment towards Input Tax Credit but not supported by the evidence as prescribed.

Explanation II- ‘Month’ for the purpose of sub-section (2) of this section, shall mean thirty days and the interest and penalty payable in respect of a period of less than one month shall be computed proportionately.

7. Amendment in Section -33

The existing section 33 shall be substituted and replaced in the following manner:-

- (1) The prescribed authority may, within a period of five years from the end of tax period and in the manner prescribed, scrutinize every return filed under section 29 for the purpose of ascertaining that –

- (a) all calculations contained therein are arithmetically accurate,
- (b) the output tax, the input tax, the tax payable and interest payable, if any, have been computed correctly and properly,
- (c) the rates of tax have been applied correctly,
- (d) evidence, as prescribed, has been furnished with regard to payment of tax and interest payable, if any, and
- (e) the deductions claimed therein are substantiated in the manner and form prescribed under the Act or under any other law for the time being in force,
- (2) If, upon scrutiny under sub-section (1), the prescribed authority discovers any error, he shall serve a notice in the prescribed form on the concerned dealer directing him to-
- (a) explain, within thirty days, the reasons for failures to comply with the requirements specified in clauses(a) to (e) of sub-section (1) .
- (b) pay, within thirty days, the extra amount of tax along with the interest, if any, payable and furnish the challan evidencing such payment,
- 3(a) the prescribed authority shall, in a case falling under clause (a) of sub-section (2) and after giving the dealer a reasonable opportunity to adduce necessary evidence, pass such order in the matter as it may deem fit,
- (b) if, pursuant to an order under clause (b) of sub-section (2), any tax or interest is found to be payable by a dealer, a notice in the form and manner prescribed, shall be served upon the dealer requiring him to pay the tax and interest within the time as may be prescribed,
- (c) If the prescribed authority is satisfied that the dealer has concealed any sales or purchase or any particulars thereof, with a view to reduce the amount of tax payable by him under this Act or has furnished incorrect statement of his turnover or incorrect particulars of his sales or purchases in the return furnished under of section 29;
- The prescribed authority shall, after giving such a dealer an opportunity of being heard, by an order in writing direct that he shall in addition to any tax payable which may be assessed under section 35 or 36 or 38, pay by way of penalty a sum equal to twice the amount of tax on the concealed turnover.
- (d) Any tax , interest or penalty payable under clause (b) and (c) shall be deemed to be an arrear of tax within the meaning of section 43.

8. Amendment in Section 35

The existing sub-section (3) shall be substituted in the following manner-

Without prejudice to the provisions of section 33 but subject to provisions of section 40, every registered dealer having turnover upto rupees 2 (two) crores per annum who has furnished the returns or revised returns along with evidences in support of payment of tax due with interest if payable, on or before the expiry of due date of filing of annual return according to sub-section (1) of section 29, shall be deemed to have been assessed excluding the dealers covered under section 19 of this Act.

Provided that the dealer shall be required to submit evidences in support of claims made in the returns within four months of the promulgation of this Act or the due date of filing the return whichever is later.

9. Amendment in Section 40

(i) After clause (e) of sub-section (1), a new clause as clause (f) shall be added in the following manner :-

(f) been concealed in the returns filed or accounts maintained or other evidences produced by the dealer are incorrect, incomplete or unreliable;

(ii) After the first proviso of sub section (1), a new proviso shall be added in the following manner-

Provided further that for clause (f) if the tax has already been assessed and levied on the concealed turnover during assessment, the prescribed authority shall impose only penalty on the dealer equal to thrice the amount of additional tax assessed and levied.

Second Para after clause (b) of sub-section (2) shall be substituted in the following manner –

The penalty shall be levied before the completion of the assessment and for determining the amount of penalty payable, the prescribed authority shall quantify the amount of tax payable provisionally under this Act.

10. Amendment in Section 73

In explanation(ii) of sub section (5),after the words,'or a person',the words '**or a courier company engaged in the business of e-commerce or on-line shopping**' shall be inserted/added.

11. Insertion/ Addition of a new Section 73 A

After Section 73 a new section shall be inserted as section 73A in the following manner-

73A Enrolment of Transporters, Carriers or Transporting agent or Courier Company.

(1) No transporter carrier or transporting agent or courier company handling goods taxable under this Act shall carry on his business, unless he is enrolled under the provisions of this Act.

(2) Every transporter, carrier or transporting agent or courier company operating his transporting business or e-commerce in Jharkhand for transporting consignment of goods into, or outside, or within Jharkhand shall apply and obtain from the Prescribed authority a certificate of enrolment, in such manner, and within such time, as may be prescribed, and a transporter carrier or a transporting agent or courier company to whom a certificate of enrolment has been issued shall -

i) display the certificate of enrolment or copies thereof at a conspicuous place of his head office and branch office(s) and warehouse(s);

ii) mention the enrolment number as appearing in the certificate of enrolment issued to him on every consignment note-and goods receipt issued by him and on every other document as may be prescribed.

(3) If a transporter, carrier or transporting agent or courier company who is required by sub-section (1) of section 73A to get himself enrolled, fails, without any reasonable cause, to make an application for issue or amendment of the certificate of enrolment, within the prescribed time, the Prescribed authority, may, by an order in writing and after giving such transporter, carrier or transporting agent or courier company an opportunity of being heard, impose upon him a penalty, of a sum not exceeding ten thousand rupees for each month of default for the first three months and Rs fifty thousand per month for subsequent months in making application for issue or amendment of certificate of enrolment, in the manner prescribed, and he shall not be entitled to carry on his transporting business.

(4) The Prescribed authority may amend any certificate of enrolment granted under sub-section (1), in accordance with the information furnished by a transporter, carrier or

transporting agent or courier company, as the case may be or otherwise received, after due notice to such transporter carrier or transporting agent or courier company, as the case may be and such amendment may be made with retrospective effect in such circumstances and in such manner, and subject to such restrictions, or conditions, as may be prescribed.

(4) i) A certificate of enrolment granted to a transporter, carrier or transporting agent or courier company under sub-section (1), shall be cancelled by the prescribed authority where he, after giving a reasonable opportunity of being heard, is satisfied that the business of transporting goods of such transporter, carrier or transporting agent or courier company, as the case may be, has discontinued or has ceased to exist, or has obtained such certificate on the basis of document or representations which has subsequently been found to be false, or has failed to comply with any requirement under this section, and such cancellation shall take effect from the date of such order.

ii) The cancellation of the certificate of enrolment may be made on an application of the transporter, carrier or transporting agent or courier company suo moto on the satisfaction of the appropriate authority.

12. Amendment in Section 79

(i) Sub-section (3) of Section 79 shall be substituted in the following manner :-

'No appeal under sub-section (1) or (2) of Section 79 shall be admitted unless the appellant objecting to an order of assessment or reassessment has paid in full the amount of tax and interest as is admitted by him and a sum equal to ten percent of the remaining amount of tax and interest in dispute arising from the said impugned order in relation to which the appeal is filed.

'Provided that if the appellate authority is satisfied that there exists sufficient ground, he may, on application exempt the appellant from paying ten percentum of the disputed amount of tax and interest or reduce the said amount of 10% for admission of the appeal and the reason for doing so shall be recorded in the order'.

(ii) In sub-section (4) of Section 79, the word 'thirty' shall be substituted by the word 'sixty'.

13. Amendment in Section 80

i) In sub section (3) the words "before the commissioner" appearing after the words " of the order" shall be deleted.

- ii) The proviso of sub-section (4) of Section 80 shall be substituted in the following manner:-

'No revision under sub-section (4) of Section 80 shall be admitted unless the appellant objecting to an order of assessment or reassessment or appellate order has paid in full the amount of tax and interest as is admitted by him and a sum equal to twenty percent of the remaining amount of tax and interest in dispute arising from the said impugned order in relation to which the revision is filed'.

Provided that the Commissioner, may exempt the appellant from paying twenty percent of the disputed amount of tax and interest or reduce the said amount of twenty percent for admission of the revision petition.

- iii) Sub-section (6) shall be deemed to be deleted w.e.f 7 May, 2011

14. **Amendment in the title of Part-B of Schedule II**

The existing rate of tax 5% shall be substituted by 5.5%

15. **Amendment in the title of Part-D of Schedule II**

The existing rate of tax 14% shall be substituted by 14.5%.

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

दिनेश कुमार सिंह,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी,
विधि विभाग, झारखंड, राँची ।
